

विचार

दैनिक जागरण

साहित्य विचार एवं भाषा की साझा अभिव्यक्ति है

सबक सीखने का समय

श्रीलंका में हुए भीषण आतंकी हमलों में स्थानीय आतंकियों की लिपता के सुबूत सामने आने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें दुनिया के सबसे बर्बर आतंकी संगठन आइएस की भी मदद मिली। अगर यह साबित हो जाता है कि श्रीलंका को आइएस की साजिश के तहत ही लहलुहान किया गया तो इसका मतलब होगा कि सीरिया और इराक में इस आतंकी संगठन को खत्म करने के दाये निरर्थक हैं। श्रीलंका में किए गए आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 350 से अधिक पहुंच गई है। हाल के समय में इतने अधिक लोग किसी आतंकी हमले का शिकार नहीं बने। यह एक तरह से इस दशक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। श्रीलंका आतंकियों के भयावह हमलों और उनके कारण हुई व्यापक जनहानि से बच सकता था, यदि उसके अधिकारियों ने भारत की ओर से मुहूर्ता कलाई गई खुफिया सूचना पर तनिक भी गंभीरता का परिचय दिया होता। यह हैगनो की बात है कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने इस सटीक सूचना पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी कि आतंकी भारतीय उच्चायोग के साथ चर्चों को खास तौर पर निशाना बना सकते हैं। अब श्रीलंका में इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता हुआ दिख रहा है कि आतंकी हमलों संबंधी खुफिया सूचना की अनदेखी कैसे हुई, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जरूरी यह है कि खुफिया सूचना की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई उन पर भी की जानी चाहिए जिन्होंने आत्मघाती हमलावरों में शामिल उन तत्वों को छोड़ दिया था जो कुछ समय पहले विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।

यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि श्रीलंका के साथ-साथ शेष दुनिया भी कुछ सबक सीखे। सबसे पहला सबक तो यही है कि खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी अनदेखी न होने पाए। इसके अलावा आइएस जैसे मानवता के दुश्मन बन गए आतंकी संगठनों पर नए निरे से लागू लगाने के उपाय किए जाएं। पता नहीं ऐसा हो सकेगा या नहीं, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकी संगठनों को पालने-पोसने अथवा अतिवादी तत्वों की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से ऐसे देश दक्षिण एशिया में ही हैं। ऐसे में भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि श्रीलंका में आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे संगठन के तार तमिलनाडु के एक समूह से जुड़े होने का अंदेशा है। निःसंदेह बीते कुछ समय में आतंकी संगठनों पर निगाह रखने वाला तंत्र पहले की तुलना में सक्षम हुआ है और इसका एक प्रमाण यह है कि हमारे खुफिया अधिकारियों को इसकी भनक पहले ही लग गई थी कि आतंकी श्रीलंका में कुछ बड़ा करने की फिरक में हैं। इसके बावजूद इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले को रोका नहीं जा सका। सक्षम और कारगर खुफिया तंत्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी यह है कि इस तंत्र में किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी न होने दी जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को दलगत राजनीति का विषय न बनाया जाए।

चुनावी हिंसा

चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल में पहले दो चरणों में किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बालीग्राम में बूथ के बाहर दो गुटों की झड़प में धारदार हथियार से हमला कर तियास्कूल शेख नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को जैसे ही मतदान शुरू हुआ। इसके बाद बमबाजी से जलते गोलीबारी एवं हमले की घटनाएं शुरू हो गई थीं। परंतु इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बिना खून वहे बंगाल में मतदान क्यों नहीं संपन्न हो पा रहा है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इस हत्या के लिए कांग्रेस ने तृणमूल को दोषी बताया है तो तृणमूल नेता आरोप को खारिज कर रहे हैं। बंगाल के विशेष चुनाव पर्यवेक्षक अजय की नायक ने ऐसे ही नहीं प्रतिक्रिया दी कि 10-15 वर्ष पहले बिहार में जो स्थिति थी वह हाल अभी बंगाल में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके दलों के नेताओं ने जमकर नायक पर हमला किया। यहाँ तक आरोप लगाया गया कि भाजपा आयोग की मदद से बंगाल में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। यदि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक होती तो क्या मतदान के दौरान किसी की जान जाती? क्या मतदान के दौरान बमबाजी एवं गोलीबारी होती? क्या बम एवं हथियार मतदान से पूर्व बरामद होते। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में भी सात चरणों में मतदान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में चुनावी हिंसा हो रही है वैसा तो अन्य राज्यों नहीं हो रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। चुनाव में जीत-हार होती ही है, लेकिन खून-खराबा क्यों? मंगलवार को एडीजी (कानून-व्यवस्था) सिद्दिनाथ खून ने भी स्वीकार कि मुर्शिदाबाद में चुनावी हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। शेख भगवानगोला थाने के बलीगम प्राथमिक स्कूल में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तौली लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं मुर्शिदाबाद एवं जंगीपुर के अलावा मालदा उत्तर, दक्षिण में भी बमबाजी एवं गोलीबारी हुई है।

कुष्ठ रोग और भारत

जन
वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विश्व के 60 फीसद कुष्ठ रोगी भारत ीं पर यह प्रति हजार लोगों में से एक से ठोों को अपनी जद में ले रहा है, जबकि 1ओ के लक्ष्य के अनुसार कुष्ठ रोग के ी दर 10000 लोगों पर एक मामले से भी कम होनी चाहिए। भारत में जिस तरह कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वह वास्तव में चिंतनीय है। भारत में 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया। उसके बाद 31 दिसंबर, 2005 को देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया।
कुष्ठ रोग सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। यह एक ऐसा रोग है, जिसमें शरीर के अंगों का आकार बिगड़ने लगता है। यह एक धीमी गति से बढ़ने वाले एक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के संपर्क में आने के बाद इसका लक्षण दिखने में कई साल लग जाते हैं। वैसे कुष्ठ रोग का प्रभाव सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं पड़ता, इसका एक व्यापक सामाजिक प्रभाव

भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन न होने के पीछे की एक मुख्य वजह कुष्ठ रोग के प्रति लोगों की सोच भी है

भी है। अमूमन लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को घृणित या बेहद दयनीय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को अमूमन अपनी जीविका कमाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। देश के विभिन्न स्थानों पर तो इन्हें इनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। चूंकि लोग इसे छुआछूत की बीमारी समझते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को परिवार एवं समुदाय से भी अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। कई बार तो देखने में आता है कि लोग कुष्ठ रोग से जुड़े कलंक और गलत अवधारणाओं के कारण इसके लक्षणों को जाहिर नहीं करते और न ही इसका इलाज करावाते हैं। जिसके कारण स्थिति काफी हद तक बिगड़ जाती है। कुष्ठ रोग के इलाज में देरी के चलते व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से अंग्र हो सकता है, बल्कि कुछ मामलों में इससे तंत्रिकाएं भी स्थायी

रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखा जाए तो भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन न होने के पीछे की एक मुख्य वजह कुष्ठ रोग के प्रति लोगों की सोच भी है। गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ भेदभाव खत्म करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, अदालत ने कुष्ठ रोग के इलाज को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कइ था।
ऐसा नहीं है कि कुष्ठ रोग का पूरी तरह निदान संभव नहीं है। वर्ष 1995 में डब्ल्यूएचओ ने सभी प्रकार के कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए एक मल्टीड्रग थेरापी विकसित की थी, जो आज पूरे विश्व में मुफ्त उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत में ही कुष्ठ रोग के निदान के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित किया जा चुका है, लेकिन आज भी सबसे अधिक कुष्ठ रोगी भारत में ही हैं। यह आंकड़ा साफतौर पर जाहिर करता है कि महज जांचे विकसित कर लेने से मर्ज का इलाज नहीं होने वाला। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले लोगों के मन में कुष्ठ रोग के प्रति विकसित प्र्रातियों का इलाज किया जाए और यह केवल जागरूकता द्वारा ही संभव है।
(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

हर्ष वी पत

कई देशों में चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियोजना को लेकर संदेह पैदा हो रहे हैं। ऐसे में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की सुविधा के मोर्चे पर नए अवसर बन सकते हैं जिन्हें भुनाने की कोशिश भारत को करनी चाहिए



भारत ने जब भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोट इनिशिएटिव यानी बीआरआइ पर कोई रुख अख्तियार किया है तो ऐसा करके उसने उसे और साथ ही दुनिया को कई संदेश देने का काम किया है। चीन एक बार फिर बीआरआइ से जुड़ा आधिकारिक आयोजन करने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए उसने भारत को भी निमंत्रण दिया था। पहले की तरह इस बार भी भारत ने इस न्यौते को टुकरग दिया। इससे पहले भी भारत ने चीन के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। नई दिल्ली ने मई 2017 में प्रथम बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था जिसमें 129 देशों और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। भले ही अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने उसमें भाग लिया हो, लेकिन भारत इसे लेकर अपने रुख पर मजबूती से टिका हुआ है। वह इस चीनी पहल पर अपनी आपत्तियों को जाहिर करता रहा है। बीआरआइ के माध्यम से खुद को वैश्विक शक्ति के तौर पर पेश करने की चीनी आकांक्षाओं के लिए भारत का यह रुख एक बड़ा झटका था। भारत के इन्कार के बाद से चीन को ऐसे कई झटके लागे हैं जिन्होंने उसके लिए समस्याएं कई गुना बढ़ा दी हैं। चूंकि भारत ने एक बार फिर अपना विरोध जताया है तो बीजिंग भी इस पर अपने पते फेंटेगा। इसके संकेत भी मिल गए हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसका उल्लेख कुछ इस तरह किया है, ‘अगर भारत बीआरआइ के तहत सहयोग से मुंह फेरता है

या फिर कुछ परियोजनाओं में हस्तक्षेप करता है तो वह कई बड़ी विकास परियोजनाओं से जुड़ने का अवसर खो देगा। साथ ही कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ बेहतर जुड़ाव की उसकी योजनाओं को भी नुकसान होगा।’

नई दिल्ली का हालिया निर्णय चीन के उस रुख के बाद सामने आया है जिसमें चीन मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने की भारत की कोशिशों को लगातार झटका देता आया है। हाल के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी चीन का रुख इस मसले पर बदला नहीं। अगर वृह्तन वार्ता को छोड़ दिया जाए तो भारत-चीन रिश्तों के मोर्चे पर कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। कुछ हालिया रपटों में यह सामने आया है कि डॉकलाम पठार पर चीन अपनी स्थिति लगातार मजबूत बना रहा है। यह सीमा पर चुनौती को दर्शाता है। जो भी हो, भारत की संप्रभुता का मूल प्रश्न बीआरआइ को लगातार परेशान करता रहेगा। जैसा कि चीन में भारत के रजदूत विक्रम मिश्री ने दोहराया, ‘कोई भी देश ऐसी परियोजना से नहीं जुड सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मुख्य चिंताओं की अनदेखी करती हो।’

हालांकि बीआरआइ को लेकर बाकी दुनिया को लुभाने की चीनी मुहिम लगातार जारी है, लेकिन भारत अपने रवैये पर कायम है और उसे कायम रहना भी चाहिए। बीआरआइ से जुड़े कार्यक्रम में करीब सौ से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में लगभग 40 देशों के राष्ट्रपु्मुखों के भी शामिल होने की उम्मीद है। पश्चिमी देशों

चुनाव आयोग के समक्ष बंगाल की बाधा

अब जबकि आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है तो यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लोकसभा चुनाव हाल के इतिहास में शाब्द सबसे तीखे चुनाव साबित होने जा रहे हैं। आम चुनावों का नतीजा कई दलों का अस्तित्त्व तय करेगा और कईवर्षों की दिशा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया विवादों से कब बाहर निकलेगी? स्वतंत्रता के बाद 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है और आज एक तरफ जहां परिचम बंगाल में चुनावी हिंसा हो रही है वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल एवं नेता जांची-परखी इंवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या इस सबकी इजाजत दी जानी चाहिए? इंवीएम पर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कइ है कि हर विधानसभा में एक के बजाय पांच बूथ पर इंवीएम और वीवीपीट का मिलान किया जाए ताकि किसी को कोई संशय न रहे कि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इसके कारण इस बार उभरे आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन भरोसा पैदा करने के लिए यह जरूरी है। मुश्किल यह है कि इस पर भी कुछ विपक्षी दल सहमत नहीं। कुछ तो इंवीएम को बदनाम करने में जुटे हैं। वे ऐसे आरोप तो लगाते हैं कि कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को जाता है, लेकिन इसके पक्ष में सुबूत देने से इन्कार करते हैं। कहना कठिन है कि चुनाव आयोग इंवीएम को बदनाम करने के अभियान से कैसे निपटेगा? वैसे उसके सामने एक अन्य चुनौती आचार संहिता के उल्लंघन की भी है। यह चुनौती सबसे अधिक परिचम बंगाल में देखने को मिल रही है।

अभी हाल में चुनाव आयोग की ओर से परिचम बंगाल में निवृत्त विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक ने कइ कि बंगाल दस पंद्रह साल पहले वाले बिहार की याद दिलाता है। इसका मतलब है कि वहां मतदाताओं को डराने-धमकाने और फर्जी वोट चलाने-डलवाने का काम होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने चुनाव आयोग से कइ कि नायक को हटया जाए। उनकी नाजगी अपनी जगह है, लेकिन क्या वह यह बात सकती हैं कि नायक ने जो कुछ कइ उसमें क्या गलत था? क्या वह सच नहीं है कि आज के दिन परिचम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां वोटर तो दूर, चुनाव कर्मचारी भी डरे हुए हैं। क्या किसी राज्य सरकार के लिए वह शां की बान नहीं कि चुनाव कचारी प्रदर्शन कर कइें कि जब तक केंद्रीय सुरक्षाबल नहीं दिए जाएंगे वे चुनावी बूट्टी पर नहीं जाएंगे? बंगाल में प्रेसी मांग कई स्थानों पर की गई। ये चुनाव अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय निवासी हैं, फिर भी उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या यह संदेह अताकिंक है कि स्थानीय पुलिस बल

साफ-सुथरे चुनाव कराने में आ रही समस्याओं के चलते आयोग के समक्ष खुद को साबित करने की चुनौती आ खड़ी हुई है



और नौकरशाही सत्ता के सामने बेबस है? डेढ़ दो महीने पहले कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के मामले में जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। समझना कठिन है कि प्रदेश सरकार ने सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच में छेड़छाड़ के आरोपी राजीव कुमार के साथ खड़े होना जरूरी क्यों समझा? उन्हें सीबीआइ की पूछताछ से बचाने की कोशिश में मुख्यमंत्री तक ने तीन दिन तक धरना दिया। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि वे बूथ के अंदर घुस रहे हैं और भाजपा को वोट देने के लिए दबाव रहे हैं। इन आरोपों पर यकीन करना कठिन है, क्योंकि वहां से खबरें तो यही आ रही हैं कि तृणमूल कार्यकर्ताओं की मनयानी से अन्य दलों के कार्यकर्ता और समर्थक त्रस्त हैं। कहीं-कहीं तो विरोधी दलों के प्रत्याशी भी परेशान हैं।

परिचम बंगाल में मत फीसद भी कुछ कहता है। वहां 75 से 82 फीसद तक मतदान होता आ रहा है। एक तरफ अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए चुनाव कर्मी और दूसरी ओर भारी मतदान। क्या यह विरोधाभासी नहीं है? सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता लोगों को ऐसी सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर

वोट नहीं दिया तो सरकार की ओर से मिल रही सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। याद रहे कि लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और अगर वहां चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित नहीं हुई तो परिणाम खतरनाक होगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। आजादी के पहले सबसे अधिक जागरूक रहने वाले बंगाल का यह दुर्भाग्य है कि वहां दशकों से यही हो रहा है। एक तरह से यह राजनीतिक विरासत के रूप में सत्ताधारी दल को मिलता आ रहा है। पहले जो काम वामपंथी दल करते थे वही अब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश का बड़ा युवा वर्ग भी राजनीति को एक रोजगार की तरह देखने लगा है। वह चुनाव को रोजी-रोटी का साधन मान बैठे हैं। बंगाल में जिस ‘कलब कल्चर’ कहते हैं वही राजनीति का हथियार बनता जा रहा है। एक आंदोलन की शकल में आई ममता बनर्जी अगर इस राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने के कदम उठातीं तो उनका कद बढ़ता, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। सभी को याद होगा कि पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरह लगभग एक तिहाई सीटों पर कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं उठा। जहां उतरा वहां मतपेटियां लूट ली गई या फिर तालाबों में फेंक दी गई। क्या इसी वजह से यह मांग होती है कि चुनाव इंवीएम से नहीं बलैट पेपर से कराए जाएं? आश्चर्य की बात यह है कि परिचम बंगाल से ऐसी खबरों का प्रसार भी बाधित होता है।

बंगाल जैसी स्थिति केरल की भी है। इन दोनों राज्यों से राजनीतिक दलों की मनयानी और राजनीतिक हिंसा की खबर्ं मुश्किल से ही सुर्खियां बनती हैं। परिचम बंगाल में साफ-सुथरे चुनाव कराने में आ रही बाधा के चलते चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। क्या उसके लिए वह रोगा रोग उचित है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं? क्या चुनाव में निष्पक्षता और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उसे आलोचना के भय से मुक्त होकर काम नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों है कि 70 साल के चुनाव आयोग के इतिहास में आज भी टीएन शेषन, लिंगदोह और उनके प्रतिनिधि केजे राव के बाद कोई नाम लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाया है? टीएन शेषन और लिंगदोह के पास भी उतनी ही शक्ति थी जितनी आज के चुनाव आयुक्त के पास है, लेकिन उनकी वैसी धमक नहीं दिख रही है जैसी दिखनी चाहिए। ऐसा क्यों है, इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)

response@jagran.com



अवधेश राजपूत

में बीआरआइ को लेकर कुछ संशय और संदेह के बावजूद अभी हाल में इटली इस परियोजना के साथ जुड़ा है। चीन ने दुनिया को यह समझाने में कामयाबी हासिल की है कि आर्थिक भूमंडलीकरण के अगले चरण के लिए बुनियादी ढांचा विकास और कनेक्टिविटी की तत्काल सख्त जरूरत है। अन्य प्रमुख शक्तियों को भी इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए वे चीन की शरण में आए। दुनिया भर में इस मोर्चे पर बहुत बड़ी मांग पैदा हो गई है और चीन इस मांग को पूरा करने की कोशिश में समर्थ दिखने वाले प्रमुख देश के रूप में उभर है। बहलहाल इस रह में आने वाली बाधाओं से पर ध्यान में बीजिंग को कड़ी मशकत करनी पड़ रही है। उसमें उसका रवैया और छवि भी आई आ रही है। भारत अपनी संप्रभुता के आधार पर चीन

की बीआरआइ परियोजना का विरोध तो कर ही रहा है, इसके साथ ही वह परियोजना को लेकर प्रत्येक बजाय भारत द्विपक्षीय साझेदारियों के बजाए ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए दक्षिण एशिया में वह जापान के साथ काम कर रहा है। भारत एशिया अफ्रीका प्रोथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं वाले मॉडल को तरजीह दे रहा है।

बीआआइ को लेकर शुरूआती विरोध के बावजूद भारत इससे जुड़े मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को दिशा दे रहा है। भविष्य में वह भारतीय नीति निर्माताओं पर निर्भर करेगा कि वे चीनी परियोजनाओं पर उठते संदेह के बादलों के चलते बनने वाले अवसरों को किस तरह भुनाते हैं ताकि भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने वाले बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सके।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में

इंटर्नेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com



ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

ऊर्जा

चुनाव के आरंभ में जो मुद्दे उठे थे वे अब किनारे हो गए हैं और

नए-नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार विभिन्न नेता चुनाव आयोग एवं इंवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि मौजूदा प्रत्याशियों को समाज की कोई चिंता है। अभी चुनाव के दो चरण ही हुए हैं कि इंवीएम गड़बड़ी की बातें की जा रही हैं।

shubhamgupta.sl21@gmail.com

राजनीति का गिरता स्तर

देश में राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में मशगूल हैं। चुनाव में अनेक नेता विरोधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो चिंता का विषय। ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी गलत टिप्पणी करने से नेता बचें। गलत बयानबाजी से चुनाव प्रभावित होने की संभावना रहती है।

urahuly88@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

^[1] संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेंद्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: न

^[2] दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23355961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

^[3] काशित और उन्ही के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) के अति

^[4] संपादन हेतु पी.आर.बी. एच.के अंतर्गत उत्तरदायी। सम्पत्ति विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होगा।